the prospects for achieving the target fixed for purchase of wheat and rice is bleak; and

(d) if so, whether Government are considering its procurement policy; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) to (c) The procurement of wheat, paddy and coarsegrains for Central Pool under price support scheme being completely on a voluntary basis and the procurement of rice is in the form of levy from millers being dependent on the quantum of paddy purchased by them, no targets, as such, can be fixed for procurement of foodgrains. In the current rabi marketing season of 1992-93, a quantity of 35.36 lakh tonnes of wheat has been procured as on 4th May, 1992 as against 35.50 lakh tonnes during the corresponding period last year. In case of rice, a quantity of 96.15 lakh tonnes of rice has been procured till 4th May, 1992 as compared to 118.76 lakh tonnes procured in the corresponding period last year.

(d) To improve the rabi procurement of 1992-93 the Government of India have announced a bonus of Rs. 25 over and above the procurement price. Apart from this, administrative steps like opening adequate number of procurement centres, reducing stock limits and ensuring that transactions take place only in mandis, have been taken.

पंजाब में गेहूं की खरीद में गिरावट आना

1402. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 1992 के "दी इकानामिक टाइम्स" में "व्हीट प्रोक्योरमेंट डिकलाइन इन पंजाब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस वर्ष पंजाब राज्य से गेहूं की सरकारी खरीद में गत वर्षों की अपेक्षा कमी आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस भारी मात्रा में गेहूं उत्पादक राज्य के किसानों को लाभकारी मूल्य देकर पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीद पाने के लिए कोई विशेष उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों ने वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1992-93 में 4-5-1992 तक पंजाब में केन्द्रीय पूल के लिए 26.85 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 23.23 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी । चूंकि मूल्य समर्थन के अधीन गेहूं की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है, इसलिए पंजाब में गेहूं की वसूली की सम्भावित मात्रा के बारे में अन्दाजा लगाना वास्तव में सम्भव नहीं है क्योंकि वसूली कार्य अभी भी चल रहा है ।

(ग) और (घ) गेहूं के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और उसकी एजेंसियों को पहली अप्रैल, 1992 से 31 मई, 1992 तक की अवधि के दौरान गेहूं बेचने के लिए किसानों को 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने की भी इजाजत दी है । पंजाब सरकार ने भी किसानों को 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त बोनस देने का फैसला किया है ।